रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266167
CG-DL-E-15092025-266167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947
No. 590] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 634(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2022 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2022 में, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद से संबंधित, अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (11) में, -

(क) "प्रोन्नति द्वारा" शीर्षक के अधीन, -

(i) "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "नौ वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) "टिप्पण–" शब्द के स्थान पर, "टिप्पण 1:"शब्द और अंककोरखा जाएगा;

(iii) इस प्रकार टिप्पण 1 के प्रतिस्थापन के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार परपोषक संवर्ग पदों को धारण करने वाले पदधारियों की प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा सात वर्ष बनी रहेगी।";

(ख) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन,-

(i) खंड (क) के स्थान पर,निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; अथवा

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100-177500 रुपये) मेंनियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा सहित या समतुल्य; अथवा

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद सात वर्ष की सेवा सहित या समतुल्य; अथवा

(iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा सहित या समतुल्य; अथवा

(v) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद नौ वर्ष की सेवा सहित या समतुल्य; और".

[फा. सं. 2022/ई(जी)आरआर/18/2]

अन्विता सिन्हा, कार्यपालक निदेशक स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण:मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. सं.101(अ) तारीख 7 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

G.S.R. 634(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railways Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer Recruitment Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways Library and Information Officer, Assistant Library and Information Officer Recruitment Rules, 2022, in the Schedule against serial number 1, relating to the post of Library and Information Officer, in column (11), -

(a) under the heading “By Promotion”,-

(i) for the words “seven years”, the words “nine years” shall be substituted;

(ii) for the word “Note –”, the word and figure “Note 1:” shall be substituted;

(iii) after Note 1 as so substituted, the following Note shall be inserted, namely:-

“Note 2: The eligibility service for promotion of incumbents holding feeder cadre posts on regular basis on the date of notification of these rules shall continue to be seven years.”;

(b) under the heading “Deputation”,-

(i) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with seven years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(iv) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or

(v) with nine years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and”.

[F. No. 2022/E(G)RR/18/2]

ANVITA SINHA, Executive Director Establishment (Gazetted Cadre)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. number.101(E), dated the 7th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA